

अमित सिंह नेगी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

निर्माण अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 22 नवम्बर, 2013

वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 24 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

अपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता ग0क्षे0/कु0क्षे0, पौड़ी/अल्मोडा द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु, विवरणानुसार, उपलब्ध कराये गये प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 132.75 किमी0 + 08 सेतु तथा ₹ 1468.00 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 1462.95 लाख (₹ चौदह हजार दो लाख पचानवे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 14 में सलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 24 कार्य ₹ 2.40 लाख (₹ दो लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवेदन में रखे जाने की शर्तों पर श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। शासन शासनादेश सं0-1764/11(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून 2010 को व्यवस्थानुसार तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विभाग परियोजना रिपोर्ट शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमादित दरों को दर शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो की स्वीकृति पर नियमानुसार आगणन अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत रूप में तैयार करते समय किया जायेगा।

कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय एक मद का दूसरी में व्यय कदापि न किया जाय।

स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैन्युअल के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा दिशानिर्देशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में आवश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीन-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य मदों-आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निवेदन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

2275
29/11/2013

मि. मि.

9

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता

वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जायेगा।
एत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत
वर्तमान में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क
स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो
की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

धन धरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप
आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते
सार कार्यवाही की जाय।

उक्त 24 कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 2.40 लाख का
बटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में,
निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 सं0:-S1311220270 दिनांक
2013 द्वारा आपको आबंटित कोड सं0- 4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान
लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत
अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-- 535(A)/XXVII/(2)/2013 दि0: 22 नवम्बर, 2013 में
की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
प्रभारी सचिव

(1)/111(2)/13-31(प्र0आ0)/2013 तददिनांक।

निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।

आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।

सम्बन्धित जिलाधिकारी।

मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।

सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ/राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।

सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लो.नि.वि.0, उत्तराखण्ड।

सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लो.नि.वि.0, उत्तराखण्ड।

गार्ड बुक।

9

Productivity A.W.H.-20

आज्ञा से,

(महिमा)
अनु सचिव

कार्यवाही
प्रत्येक कार्यवाही में निम्नलिखित
लोक प्रशासन विभाग, जयपुर
में होना चाहिये।

सूचना सं - 2275/20 फरवरी 1973 दि. 29/11/73

~~ग्रीनबिलि विन लिखित को पत्र में~~
~~जिसे ग्रीनबिलि के रूप में आवश्यक कार्य~~
~~हो सके।~~

01- मुख्य मंत्री (गृह) लोकनिर्वाह,
पंजी / कार्यालय।

02- मंत्री-कर्मि ... को हस्ता, लोकनिर्वाह
...

सूचना सं - 2275/20 फरवरी 1973 दि. 29/11/73
मुख्य मंत्री (गृह) लोकनिर्वाह
पंजी / कार्यालय।

29/11/73

9

Photocopy available

शासनादेश संख्या:- 5927 / 111(2) / 13-31(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई किमी० में	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-439/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी में ज्ञानसू-साल्ड-ऊपरीकोट मोटर मार्ग से स्यानाचट्टी, यमुनोत्री तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	40.00	415.63 [₹ 228.98 + ₹ 186.65 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
2	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-437/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड डुण्डा में देवीधार-रनाडी-दिलसौड़-जोशियाडा मोटर मार्ग का सुधार एवं डामरीकरण का कार्य।	13.00	2.21	0.10
3	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-269/2012 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के बड़कोट में वार्ड सं०-05 में श्री रामकृष्ण जयाडा के मकान के पास से वार्ड सं०-04 में श्री भगताराम बहुगुणा के मकान के पास 115.00 मी० स्पान झुला पुल के निर्माण का कार्य।	115 mt	13.17 [₹ 5.75 + ₹ 7.42 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
4	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-30/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड ऐकेश्वर में नावा-घटगढ़ मोटर मार्ग के पिंगलापाखा स्थान से ऊंचाकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	22.95 [₹ 17.55 + ₹ 5.40 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
5	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-32/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में लियाखाल से उबोट एवं सिलेथ मोटर मार्ग का नव निर्माण।	3.00	17.55	0.10
6	मा० मुख्यमंत्री घोषणा सं०:-37/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में देवराजखाल-जयराजखाल मोटर मार्ग का डामरीकरण का कार्य।	2.00	0.34	0.10
7	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-29/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खण्ड पोखड़ा में ग्राम सभा दौथा ताली-संदणा तथा छौयाधार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00	35.10	0.10
8	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-28/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड ऐकेश्वर के संगलाकोटी बाजार से संगलाकोटी गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	31.50 [₹ 11.70 + ₹ 19.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10
9	मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या:-55/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोखड़ा में देवराडी रोडियाखाल मोटर मार्ग का पडियारगांव मखौली उबोट गवाणी तक विस्तार का कार्य।	10.00	157.50 [₹ 58.50 + ₹ 99.00 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य]	0.10

शासन देश संख्या:- 5927 / 111(2) / 13-31(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 का सलग्नक

10	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-42/2013 के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पोंखड़ा के अन्तर्गत संगलाकोटी भैडगांव गुडिण्डा मोटर मार्ग का तिलखोली जजेड़ी तक विस्तारीकरण का कार्य।	12.00	191.10 (₹ 72.30 + ₹ 118.80 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
11	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-830/2012 के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में दिवालीखाल- किमोली मोटर मार्ग का नारायणबगड से जोड़ने के लिए 10 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	10.00	96.21 (₹ 58.50 + ₹ 37.71 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
12	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-116/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधान सभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत एम0डी0डी0ए0 शिवलोक कालोनी को दीपनगर से जोड़ने हेतु रिस्पना नदी पर मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	20.00 mt	1.60	0.10
13	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-722/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया में तडागताल में (ढनाण के पास 125 मी0 विस्तार के) झूला पुल का निर्माण।	125 mt	7.94 (₹ 7.51 + ₹ 0.43 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
14	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-319/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में ग्राम लक्ष्मपुर (नकैल) को मोटर मार्ग से जोड़ने हेतु कच्चे मार्ग का सुधार/ खामीकरण एवं सुखी नदी पर 60 00 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	3.00 + 60mt	29.55 (₹ 4.71 + ₹ 24.84 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
15	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-317/2013 के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के विकासखण्ड हल्द्वानी में विजयपुर पहाड़पानी पैदल मार्ग के किमी0 0.00 (देवल मल्ला) से किमी0 2.00 तक मार्ग को मोटर मार्ग में परिवर्तित करते हुए मार्ग का सुधारीकरण/पुनःनिर्माण सुखी नदी पर काजवे का निर्माण।	2.00	19.46 (₹ 2.90 + ₹ 16.56 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
16	मा मुख्यमंत्री घोषणा सं0:-377/2013 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-कपकोट में रेवती नदी (कपकोट) के स्थान हीरुकला के समीप 30 मी0 पैदल लौह सेतु का निर्माण।	30mt	1.20	0.10
17	जनपद चमोली के विकासखण्ड नारायणबगड में कुलसारी-आलकोट-धारवारम मोटर मार्ग का ग्राम गैरवारम तक विस्तार हेतु कि0मी0 2.00 में मिसिंग लिंक मोटर सेतु का निर्माण कार्य।	48 mt	3.36	0.10
18	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड-दुगड्डा में सिद्धबली मंदिर को जाने वाले पुराने मार्ग गाडीघाट ग्रास्टनगंज के मध्य खो नदी पर 105 मी0 स्पान डबल लेन आर0सी0सी0 प्रीस्ट्रैस्ड सेतु का निर्माण कार्य।	105 mt	11.62	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-243/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत करडा शिकारु मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	4.00	38.52 (₹ 3.32 + ₹ 35.20 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10

शासनादेश संख्या 5927 / 111(2) / 13-31(प्रा0आ0) / 2013 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 का संलग्नक

20	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-236/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-पुरोला में त्यूनी पुरोला मोर्चा मोटर मार्ग से पुरोला बाईपास मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	3.75 + 48 mt	131.15 (₹ 6.95 + ₹ 124.20 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-237/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-पुरोला में हुडोली से निम्नोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	31.53 (₹ 2.49 + ₹ 29.04 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
22	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-244/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कमलेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	3.00	27.99 (₹ 5.49 + ₹ 22.50 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
23	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-232/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी में मोरी-सालरा मोटर मार्ग के कि०मी० 1 से सान्द्रा सल्ला, मोरा (आशकोट) मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	7.00	123.27 (₹ 7.91 + ₹ 115.36 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
24	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-246/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड-मोरी में किराणू-धुनिया-थौरिण्डाधार मोटर मार्ग का नव निर्माण का कार्य।	6.00	52.50 (₹ 4.98 + ₹ 47.52 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
योग:-		132.75 + 08 brg	1462.95	2.40

(कुल ₹ दो लाख चालीस हजार मात्र)

M. H. I.
(महिमा)
अनु सचिव

11/08/2013